न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 16/2019

1 रामलाल पुत्र बीरधाराम जाति कुमावत उम्र 75 वर्ष निवासी पावर हाउस के पास चंवरा रोड़ गुढ़गौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 गणेशराम पुत्र मूलचन्द।
2 पालाराम पुत्र बीरधाराम समस्त जाति कुमावत निवासीगण पावर हाउस के पास चंवरा रोड़ गुढ़गौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील विरूद्व निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 31.01.2019 उनवानी गणेशराम बनाम पालाराम आदि मुकदमा नम्बर 386/2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

उपस्थिति :

1. श्री जुगलकिशोर सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री द्वारका प्रसाद वर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 08.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा संख्या 386/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 31.01.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट नम्बर 1 गणेशराम ने वाके ग्राम गुढ़गौड़जी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 274,275, 277,278,333,334,1016,1026,1027,1583,1819,1820,1821 रकबा क्रमशः 0.01,0. 02,4.48,0.34,0.29,0.89,1.04,0.03,1.38,1.73,1.77,1.60,1.53 हैक्टेयर कुल किता 13 कुल रकबा 15.11 हैक्टेयर भूमि बाबत विभाजन का वादपत्र दिनांक 10.08. 2015 को न्यायालय मे पेश कियाा। दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण में प्रतिवादीगण की तामील जारी की गई। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की ओर से वकील उपस्थित आये जिन्होने वकालतनामा पेश कर जवाब के लिए अवसर चाहा। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के लिए चल रही थी। जिसके लिए दिनांक 31.05.2016 नियत थी। परन्तु दिनांक 31.05.2016 को कैम्प कोर्ट गुढ़गोड़जी में बिना किसी पक्षकार को सुने हुये इसमे प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2016 को जारी कर पत्रावली को फैसल कर दिया गया। प्राथमिक निर्णय व डिक्री मे वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जे के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुये विधिवत विभाजन कर दिया जावें। इस प्रकार पत्रावली को फैसल शूमार कर नम्बर से कम कर दिया गया। इस प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 14.11.2018 को न्यायालय में तैयार कर पेश किया गया जिसकी सुचना पर अपीलांट ने विभाजन प्रस्ताव की नकल लेकर देखा तो विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार व मौके पर कब्जे के अनुसार नही होने पर अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 2 ने ऐतराज पेश किया। परन्तु अदालत मातहत ने प्रतिवादी नम्बर 2 के ऐतराज को बिना सुने ही खारिज कर दिया तथा इस प्रकरण में अन्तिम निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

व डिक्री दिनांक 31.01.2019 को जारी कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत दिनांक 31.05.2016 को जो प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी की थी उसमे वादपत्र के पैरा नम्बर 1 में वर्णित भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य रास्ते का प्रावधान रखते हुये विभाजन कर दिया था लेकिन तहसीलदार उदयपुरवाटी के द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.11.2018 को तैयार किया गया है उसमे भूमि खसरा नम्बर 274,275,277,278 का बिना किसी उचित कारण के विभाजन नही किया गया है तथा उक्त खसरा नम्बरो को शामलाती रखा गया है जबकि प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2016 में यह नम्बर शामिल है। प्रकरण में प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी होने के बाद वादी गणेशराम ने राधास्वामी सत्संग व्यास डेरा बाबा जैमलसिंह जिला अमृतसर जरिये सचिव झुंझुनू को 0.81 हैक्टेयर भूमि का बेचान दिनांक 14.02.2017 को कर दिया गया। जो इस वादपत्र में पक्षकार नहीं है इसके बावजुद भी तहसीलदार उदयपुरवाटी ने उसका हिस्सा अलग किया है बाकि वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का हिस्सा भूमि खसरा नम्बर 1016 व 1027 में अलग नहीं किया है प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का हिस्सा शामलाती रखा गया है जबकि प्राथमिक निर्णय व डिक्री में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का सभी का हिस्सा अलग–अलग करना था तथा राधा स्वामी सत्संग को भूमि खसरा नम्बर 1016 में 1/3 हिस्सा ही खातेदार था 1/3 हिस्से में 0.3460 हैक्टेयर भूमि आती है। जबकि उसको विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.11.2018 में भूमि खसरा नम्बर 1016 में 0.46 हैक्टेयर भूमि दी गई है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.11.2018 में भूमि खसरा नम्बर 333/1,333/2 ,1583/2 में जो रास्ता कायम किया गया है वह गलत कायम किया गया है क्योंकि खसरा नम्बर 333,1583 के दक्षिण सीमा की ओर मौके पर नदी है तथा गहरा खड्डा है जहां पर रास्ता कायम किया जाना नामुमकिन है खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

नम्बर 333 व 1583 की उत्तरी सीमा पर रास्ता कायम किया जाना चाहिए था जहां मौके पर आसानी व सुविधा से रास्ता कायम किया जा सकता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुनकर दिनांक 31.05.2016 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। दिनांक 08.01.2019 को अपीलांट रामलाल द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर चाहा जो विचारण न्यायालय द्वारा दिया जाकर पत्रावली दिनांक 17.01.2019 को नियत की गई। दिनांक 17.01.2019 को प्रार्थी रामलाल द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर उभयपक्ष को सुनकर उभयपक्ष को सुना गया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने दिनांक 29.01.2019 को अपीलांट की आपत्ति खारिज की एवं दिनांक 31.01.2019 को विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुनकर दिनांक 31.05.2016 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। दिनांक 08.01.2019 को अपीलांट रामलाल द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर चाहा जो विचारण न्यायालय द्वारा दिया जाकर पत्रावली दिनांक 17.01.2019 को नियत की गई। दिनांक 17.01.2019 को प्रार्थी रामलाल द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर उभयपक्ष को सुनकर उभयपक्ष को सुना गया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने दिनांक 29.01.2019 को अपीलांट की आपत्ति खारिज की एवं दिनांक 31.01.2019 को विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर